

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व

तहसील - मुरैना
जिला - मुरैना, मध्यप्रदेश

(अन्य पिछड़े वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र)

प्रकरण क्रमांक 6584/बी - 121/जाति प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र क्रमांक : RS/419/0106/6584/2017

दिनांक : 03/07/2017

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक राजपूत पुत्र श्री स्व डी एस राजपूत (पिता) एवं श्रीमती स्व सुनीता राजपूत (माता) नगर मुरैना, तहसील मुरैना, जिला मुरैना मध्यप्रदेश किरार जाति के हैं, यह जाति राज्य के लिए अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति में अधिसूचित सूची में अनुक्रमांक 22 निम्नलिखित के तहत विनिर्दिष्ट की गई है:-

1. मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984.
2. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-97-चौवन, दिनांक 2 अप्रैल, 1997.
3. इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है।
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक राजपूत क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रमांक एफ 7-26-93-1-आ.प्र., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट (ई) की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक दीपक राजपूत के परिवार की कुल वार्षिक आय उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र/सक्षम प्राधिकारी / नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र के आधार पर रुपये 36000.00 हैं ।
4. श्री दीपक राजपूत पुत्र श्री स्व डी एस राजपूत सामान्यतः (Ordinarily) नगर मुरैना, तहसील मुरैना, जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) के निवासी हैं।

स्थान : मुरैना
दिनांक : 03/07/2017
आधार नंबर :
समग्र नं :



तहसील - मुरैना

प्रदीप सिंह तोमर
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

1. प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र म.प्र. शासन की Digitally Signed document repository www.mpedistrict.gov.in से डाउनलोड किया गया है। प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
2. यह प्रमाण पत्र, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्य है।
3. प्रमाण पत्र का सत्यापन पंजीयन क्रं RS/419/0106/6584/2017 के द्वारा वेबसाइट <http://mpedistrict.gov.in> के माध्यम से किया जा सकता है।

Deepak

स्वायालय श्रीमान
क्रमांक /बी/121/सन्
सम्मान का पंजी क. - 1701/1/1304/1011

जिला - मुरैना
दिनांक - 28/08/2010

मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी दीपक राजपूत आत्मज/पति/आत्मजा श्री टीएस राजपूत ग्राम आजाद नगर तहसील मुरैना जिला मुरैना मध्यप्रदेश के निवासी है।

क्योंकि वह :-

- * 1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/हुई है,
अथवा
- ✓ 2. वह पालक वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरन्तर कम से कम 15 वर्ष से रह रही है,
अथवा
- * 3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है,
अथवा
- * 4. केन्द्रीय शासन का कर्मचारी जो मध्यप्रदेश में सेवारत है,
अथवा
- ✓ 5. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति या व्यवसाय रखते है,

और

- * 1. उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है
अथवा
- 2. उसने मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा पास की है,
✓ (क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास की है।
अथवा
- ✓ (ग) आठवीं कक्षा की परीक्षा पास की है।
अथवा
- ✓ (घ) पांचवी कक्षा की परीक्षा पास की है।
- * 1. विशेष परिस्थिति - विवाहित महिला के लिए यदि किसी अन्य प्रदेश से विवाहित होकर आयी हैं

प्राधिकृत अधिकारी
मुरैना जिला
तहसील आजाद नगर

Beetalk